



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239610
CG-DL-E-13102022-239610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4648]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 4648]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4858(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के दावनगेरे जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एक्वीजीशन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31/07/2022" को "वार्ता भारती और टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के दावनगेरे जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एक्वीजीशन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: दावनगेरे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जगलुरु				
	गांव का नाम: कल्लेदेवरपुरा				
1	K.NO. 409/1	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रिकल्चर	0.009293	गौरम्मा डबल्यू/ओ पलप्पा (के.नो.409/1)
2	K.NO.237/1	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रिकल्चर	0.011148	शेखम्मा डबल्यू/ओ थिप्पेस्वामी (के.नो.237/1)
3	K.NO.243	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रिकल्चर	0.011148	सत्यम्मा डबल्यू/ओ थिप्पेस्वामी (के.नो.243)
4	K.NO.245/1	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रिकल्चर	0.011148	यशोदम्मा डबल्यू/ओ राजकुमार (के.नो. 245/1)
5	K.No.332/1	निजी(सैट)	सैट	0.023226	श्री दुर्गाम्बिका देवस्थान सेवा समिति (रजि.) (के.नो.332/1)
6	K.NO.407	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रिकल्चर	0.0185	भाग्यम्मा डबल्यू/ओ कृष्णप्पा (के.नो.407)
			कुल	0.084463	

[फा. सं. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4858 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH50 on the stretch of land from Km 299 to Km 418.75 (Office of Special Land Acquisition National Highways Authority of India Hospet) in the district of Davanagere in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vartha Bharathi” and “Times of India” both dated 31/07/2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH50 in the stretch of land from NH50 (Office of Special Land Acquisition National Highways Authority of India Hospet) in the district of Davanagere in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: Davanagere			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jagalur				
	Village: Kalledevrapura				
1	K.NO. 409/1	Private(Non-Agriculture)	Non-Agriculture	0.009293	Gowamma W/o Palappa K.No.409/1
2	K.NO.237/1	Private(Non-Agriculture)	Non-Agriculture	0.011148	Shekhamma W/o Thippeswamy K.No.237/1
3	K.NO.243	Private(Non-Agriculture)	Non-Agriculture	0.011148	Sathyamma W/o Thippeswamy K.No.243

4	K.NO.245/1	Private(Non-Agriculture)	Non-Agriculture	0.011148	Yashodamma W/o Rajakumara K.No. 245/1
5	K.No.332/1	Private(Site)	Site	0.023226	Sree Durgambika Devasthana Seva Samithi (Regd) K.No.332/1
6	K.NO.407	Private(Non-Agriculture)	Non-Agriculture	0.0185	Bhagyamma W/o Krishnappa K.No.407
			TOTAL	0.084463	

[F. No. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3D]

RAJESH GUPTA, Director